pound. The Additional District Magistrate, Delhi, accordingly issued a prohibitory order under Section 144 Cr. P.C. on 4th January, 1964 to come into effect from 7th January, 1964. This order was subsequently extended for a period of one year from 7th March, 1964 *vide* the Delhi Administration's notification No. F. 2(4)|64-Home, dated 7th March, 1964.

Vigilance Bodies in States

1779. **Shri Hari Vishnu Kamath:** **Shri Ramachandra Ulaka:** **Shri Dhuleshwar Meena:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 182 on the 19th February, 1964 and state:

(a) whether replies from all State Governments have been received regarding setting up of vigilance bodies; and

(b) if so, a resume thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1619/64].

12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

RELEASE OF SHEIKH ABDULLAH

Mr. Speaker: Shri Jashvant Mehta.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): What about the adjournment motion?

Mr. Speaker: I have not allowed that.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : वह इतने कम महत्व का विषय नहीं है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप उसको यहां नहीं उठा सकते । आप चाहें तो उसके बारे में मेरे पास आ सकते हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आपने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार न करके ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया । क्या वह इतने कम महत्व का विषय है ? यह सारे काश्मीर और भारत का सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री साहब जानते हैं कि जिस चीज को मैं इन्कार कर देता हूं उसको यहां नहीं आने देता । अगर आप उस पर जोर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी राय बदल लूं तो आप मेरे पास आएं और मुझे समझाएं । यहां नहीं उठा सकते ।

Shri Jashvant Mehta (Bhavnagar): I call the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

"The reported decision to release Sheikh Abdullah".

The Minister Without Portfolio (Shri Lal Bahadur Shastri): For some-time past, the question of the release of Sheikh Abdullah has been engaging the attention of the Jammu and Kashmir Government and there have been consultations between them and the Government of India. The new State Government, headed by Shri G. M. Sadiq, has been anxious to create a new atmosphere in the State and felt that it would help if Sheikh Abdullah could be released.

Some Hon. Members: Hear, hear!

Some Hon. Members: Shame, shame!

Mr. Speaker: Order, order. Let not the opposition neutralise itself.

Shri Lal Bahadur Shastri: As the case has been under trial for a long time and as Sheikh Abdullah has been in detention for many years, the Government of India did not wish to come in the way and left it to the Jammu and Kashmir Government to

decide after considering the present political conditions in the State.

The decision has now been taken by the State Government of Jammu and Kashmir to withdraw the case against Sheikh Abdullah and others.

In view of this decision, an application is being made to the Court by the Advocate General of Jammu and Kashmir to get consent of the court to the withdrawal of the case.

Shri Jashvant Mehta: The Kashmir Prime Minister announced yesterday that the decision has already been taken to release Sheikh Abdullah. May I know whether before announcing this decision the Government of India was consulted on this matter and secondly whether the Government of India had tried to ascertain the viewpoint of Sheikh Abdullah on the present political situation in Kashmir?

Shri Lal Bahadur Shastri: About the first, I have already stated that there was consultation made with the Government of India. In regard to the second part of the question, no, Sir.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): May I know whether the Government have examined the legal position before making the announcement or before becoming a party to the announcement that it is not within their right to say that they are going to release some person who is under trial and that under section 494 of the Cr. P.C. it is in the discretion of the court alone to order the release? It is with the consent of the court that the prosecution could be allowed to withdraw. Would the Government make it clear whether they have consulted the legal position in this matter and whether they are prepared to clarify this point before the House?

Mr. Speaker: He said that an application would be made to the court.

Dr. L. M. Singhvi: What I am submitting is, the announcement has already been made that he is going to be released. It is anticipating judicial procedure which is contrary to the provisions in section 494. May I know whether the Government have consulted anybody and taken the legal opinion in the matter; if so, what is that legal opinion? If they have not taken the legal opinion, may I know why they have not done so?

Shri Lal Bahadur Shastri: The Jammu and Kashmir Government must have taken the necessary legal opinion It is they who have made the announcement and are going to file a formal petition before the court today. They might have done it.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सरकार यह जानती है कि शेख अब्दुल्ला पर मुकदमा चलाने में करोड़ों रुपया व्यय किया गया है और अगर मुकदमे को बिना किसी निर्णय पर पहुंचे वापिस लिया गया तो दुनिया में भारत की अप्रसिद्धि हो सकती है । देश में यह विचार धीरे धीरे घर करता चला आ रहा है कि शेख अब्दुल्ला को छोड़ने से काश्मीर को छोड़ने की भूमिका आरम्भ हो सकती है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चार्जेज़ शेख अब्दुल्ला पर थे ? और जब सन् १९५७ में एक बार छोड़ने के बाद उन्हें फिर दोबारा गिरफ्तार किया गया, तो अब कौन सी ऐसी स्थिति आ गई है कि दोबारा छोड़ने के लिए विवश होना पड़ रहा है ? क्या इसके लिए कोई राजनीतिक दबाव आ रहा है, या भारत सरकार और प्रधान मंत्री के मानसिक संतुलन का यह परिणाम है जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला को छोड़ा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : चार्जेज तो सब लोग जानते हैं । आप इस बात का जवाब दें कि क्या गवर्नमेंट पर इसके लिए कोई प्रेशर लाए गए ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसके लिए कोई प्रेशर आया है भारत सरकार पर, यह कहना तो ठीक नहीं है । कोई प्रेशर या

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

दबाव में यह बात नहीं की गयी है। जहां तक शेख ग्रब्दुल्ला के छोड़ने या नछोड़ने या मुकदमे का सवाल है, यह मसला हमेशा जम्मू और काश्मीर सरकार पर छोड़ा गया। जब पहली बार बार वह गिरफ्तार किए गए तब भी जम्मू काश्मीर सरकार ने फैसलाा किया था, जब वह फिर छोड़े गए तब भी इसका निर्णय जम्मू काश्मीर सरकार ने किया, और फिर जब उनको गिरफ्तार किया गया तब भी उनका ही फैसला था। अब यह भी वहां की गवर्नमेंट का फैसला है कि वहां ऐसी स्थिति आ गई है कि उनको छोड़ दिया जाए। भारत सरकार से उनका सलाह मशविरा होता रहा है। हम उनके रास्ते में नहीं आना चाहते। ऐसे बड़े बड़े मसले जोर या दबाव से हल नहीं हुआ करते। जहां तक काश्मीर का ताल्लुक है, वह भारत का है, उनका सम्बन्ध बना हुआ है, बंधा हुआ है, लिखा हुआ है। उससे हटने का सवाल नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर।

मैंने यह भी कहा था कि क्या भारत सरकार शेख ग्रब्दुल्ला को छोड़ने से पहले और काश्मीर के सम्बन्ध में नया निर्णय लेने से पहले पालियामेंट को भी कान्फिडेंस में लेगी। मेरे सवाल के इस ग्रंश का उत्तर नहीं दिया गया।

ग्रध्यक्ष महोदय : दे दिया गया।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या निर्णय लेने से पहले पालियामेंट को विश्वास में लिया जाएगा ?

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): May I know whether the Government of Jammu and Kashmir has conveyed to the Government any intention to impose restrictions on the movement of Sheikh Abdullah or is it an unconditional release?

Shri Lal Bahadur Shastri: As far as we know and we have been told, it would be an unconditional release.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या सरकार समझा सकेगी कि जब काश्मीर स्टेट का यह मामला है,और वह गवर्नमेंट खुदमुख्तार है, तो इस पालियामेंट में इजाजत क्यों दी गयी इसको डिसकस करने की, और अगर इजाजत दी गई है तो इसका जवाब दिया जाना चाहिए।

ग्रध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो मुझसे पूछिए कि क्यों मैंने इसकी इजाजत दी।

श्री यशपाल सिंह : मेरे सवाल का जवाब तो ग्राना चाहिए।

ग्रध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो ग्राप मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि इजाजत तो मैंने दी है। इजाजत तो मैंने दी और आप सवाल उनसे पूछते हैं वह क्या जवाब देंगे।

श्री यशपाल सिंह : ग्रापको तो सारा ज्ञान है।

ग्रध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो ग्राप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी इजाजत तो मैंने दी है उन्होंने तो नहीं दी। मैंने यह सवाल एडमिट किया था और मैंने उनसे कहा कि इसका जवाब दें।

श्री यशपाल सिंह : सरकार की व्यू तो मालूम हो।

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): In view of the fact that some of the pro-Pakistani parties such as the Political Conference and Plebiscite Front are taking out demonstrations in favour of Pakistan in the wake of Sheikh Abdullah's release, may I know what steps Government propose to take in co-operation with the State Government to maintain law and order?

Shri Hem Barua (Gauhati): Anticipatory question.

Shri Lal Bahadur Shastri: It is true that there are some people who shout objectionable slogans, but their number is exceedingly small. I have no doubt that by and large the people of Jammu and Kashmir stand with the present Government there and the leadership of Shri Sadiq: We have had discussions with Shri Sadiq and his colleagues when they were recently in Delhi. They mentioned about this matter also. They are quite certain within their minds and they will do the needful and, if necessary, they will take adequate action against those who raise these objectionable slogans.

श्री बड़े (खारगोन) : शेख अब्दुल्ला की जैसी परिस्थिति और जैसी आपत्तिजनक हरकतों के कारण पकड़ा गया था वह रिहा होने के बाद अपनी वही पुरानी आपत्तिजनक हरकतें शुरू कर देंगे यह डर शासन के दिल से निकल गया है या नहीं और इसी डर के कारण कि कहीं वह अपनी हरकतें रिहा होने के बाद फिर शुरू कर दें शासन ने उन को छोड़ने की परमिशन अभी तक नहीं दी थी लेकिन अभी अमरीका के श्री टालबोट जो भारत आए थे और उनके प्रेशर की वजह से शासन ने उनको छोड़े जाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है क्या यह बात सच नहीं है ? दूसरे यह कि वहां की जम्मू की दूसरी जो पार्टीज़ हैं क्या उनसे भी इस बारे में सलाह मशविरा किया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य ने इसमें श्री टालबोट की बात जो कही वह तो मुझे बहुत अजीब लगी क्योंकि उनकी इस बारे में कोई राय या दख़ल हो नहीं सकता था । यह तो बिल्कुल हमारे अपने देश की बात है और जम्मू व काश्मीर गवर्नमेंट के फैसला लेने की बात है और उन्होंने हम लोगों से भी इस बारे में राय ली थी । अब बाकी यह कि शेख़ साहब की रिहा होने के बाद क्या एक्टिविटीज़ होंगी वह तो जब वह बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा ।

श्री बड़े : प्रजा परिषद् के डोगरा साहब और दूसरी पार्टीज़ से भी क्या इस बारे मे कोई सलाह मशविरा किया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : किसी पोलिटिकल पार्टी से मशविरा नहीं किया गया लेकिन अखबारों को देखने से पता चलता है कि कर्रा साहब का और प्रजा परिषद् के डोगरा साहब के बीच बहुत मेलजोल के साथ बातचीत हुई है ।

श्री कछवाय (देवास) : सादिक साहब ने कहा है कि उनको बिना शर्त छोड़ा जायगा । अब जिन पर कि सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये, कोर्ट से केस हटाया नहीं गया तो और अब जो सादिक साहब ने उनको छोड़ने की बात कही है तो क्या यह बात सही नहीं है कि प्रधान मंत्री के इशारे पर उनको छोड़ा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : उसका जवाब तो आ गया ।

श्री कछवाय : इसका जवाब नहीं आया है । मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री इसका जवाब दें कि शेख़ अब्दुल्ला को क्या अब उनके इशारे पर छोड़ा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

Shri Warior (Trichur): May I know whether the State Government has informed the Central Government in what manner the release of Sheikh Abdulla will strengthen the political situation in Kahsmir and bring political stability in the State?

Shri Lal Bahadur Shastri: I cannot give all the reasons which led the State Government to take this decision. Naturally, the State Government must have formed its own assessment and it feels that the release of Sheikh Abdulla might help in sta-

[Shri Lal Bahadur Shastri.]

bilising the position in Kashmir. It is the view of the State Government.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): May I ask a question?

Mr. Speaker: No, Sir.

Shri Vasudevan Nair: Some of the newspapers have reported that when this news came the Government of India was almost taken by surprise. May I know whether the hon. Minister is in a position to state that such reports are completely unfounded?

An Hon. Member: Partially founded.

Shri Lal Bahadur Shastri Yes, I must admit that it is partially correct, in so far as the statement made by Shri Sadiq yesterday in some press conference is concerned, because we were not aware of the fact that it would be made public yesterday morning. Regarding the rest of the matter, we knew the main fact and the stand of the State Government in this matter.

Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): May I know how long this question regarding the release of Sheikh Abdulla has been under the consideration of the Kashmir Government? When they discussed this matter with the Central Government, did they disclose the reason or causes which promoted them to take this decision?

Shri Lal Bahadur Shastri: This has been engaging the attention of the Kashmir Government for some time past.

Shri Harish Chandra Mathur: How long?

Shri Lal Bahadur Shastri: As far as I remember, even a year and a half before this matter came up when Bhakshi Ghulam Mohammad was the Premier of that State. After that, of course, we have had talks several times. I would not like to give the details of our talks and discussions to the House, because it would not be advisable.

Mr: Speaker Papers to be laid.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): On a point of order, Sir.

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी नोटिस देने वालों में शामिल था लेकिन मुझे सवाल पूछने का मौक़ा नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो कहीं नाम नज़र नहीं आता है

श्री ओंकार लाल बेरवा : श्रीमन्, मैंने तो उस पर बहुत से कागज़ों पर अपने दस्तख़त किये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा बैठ जाइये, मैं देख लेता हूं ।

Shri Hari Vishnu Kamath: May I ask whether names of Members who gave notice on Saturday or Monday on this very subject have not been included in this list today? We gave notice on Saturday or Monday when the news was coming in. We were not intimated that day at all whether this was admitted or disallowed. Today it has been admitted. Some of us gave notice on Saturday or Monday.

Mr. Speaker: It has appeared in today's papers.

Shri Hari Vishnu Kamath: It has been appearing for the last so many days. Three or four days ago some papers carried it in bold, near banner headlines . . . (*Interruption*) .

Shri Bade (Khargone): Before taking any steps Parliament should be taken into confidence.

Mr. Speaker: That is a different thing altogether. Shri Hem Barua

says that he signed it ....(*Interruption*)

Shri Hem Barua *rose*—

श्री ओंकार लाल बेरवा : जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा कि यह राज्य का मामला है और वहां की जम्मू व काश्मीर की सरकार ने उन को जेल से छोड़ देने का निश्चय किया है तो मैं जानना चाहता हूं कि जबकि उनको केन्द्रीय सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया था तो अब राज्य सरकार को क्या अधिकार है कि वह उनको इस तरह से छोड़ दे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने कह दिया

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of order, Sir. I might submit that I gave notice of a calling-attention notice plus a short notice question on the same day, and you have admitted the short notice question for answer in the ordinary course on the 8th April. On the same day I gave the calling-attention notice; but I have not been intimated.

Mr. Speaker: Shri Kamath should realise if a short notice question is there and I get a calling-attention notice on a statement that has been made only yesterday and which has appeared in today's papers, how can I include that short notice question?

Shri Hari Vishnu Kamath: I am sorry, you have misunderstood me. My point was that on the very subject of the release of Sheikh Abdulla I gave a calling-attention notice plus a short notice question on the same day, last Saturday, I believe—I forget which particular day it was There was nothing about the calling-attention notice, whether it was disallowed or admitted, but about the short notice question I got intimation on Monday that it will be admitted for answer in the ordinary course on the 8th April, that is, next Wednesday. But there was no intimation about the calling-attention notice at all. Therefore I thought that my name would be included in the list today.

Mr. Speaker: That was on different facts. Shri Kamath should realise that. It has arisen only this morning out of the statement of the Minister...

Shri Hari Vishnu Kamath: Today the news is that he would make a statement here. But the release of Sheikh Abdulla is an issue which has been... (*Interruption*).

Maharajkumar Vijaya Ananda (Visakhapatnam) *rose*—

Shri Brij Raj Singh (Rareilly): Please look at him; he is standing. Both of them are standing at the same time.

Mr. Speaker: Order, order; he may please sit down.

Shri Hari Vishnu Kamath: The issue of the release of Sheikh Abdulla has been hanging fire and has been in the papers off and on for one week or more. I have given notice twice... (*Interruption*).

Mr: Speaker: That is quite a different affair, namely the issue of release of Sheikh Abdulla being considered for a long time. That is quite distinct from what has been said yesterday. Actually a statement has been made that he is going to be released. How soon, that only is not given. Therefore this was a different provocation or case that gave rise to this. Papers to be laid on the Table.

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज के अखबारों में यह छपा कि मंत्री महोदय एक बयान करेंगे और पूरक प्रश्नों के पूछने की इजाजत होगी। इस खबर के आधार पर मेरे जैसे आदमियों ने अपने नाम नहीं भेजे। आज के ही अख़बार में यह ख़बर छपी है . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर यह व्यवस्था का प्रश्न है तो इस पर मेरा फैसला यह है कि मेरे पास चूंकि कोई नोटिस नहीं था इसलिए जो नाम थे मैंने उन्हीं को बुलाया। उनके अलावा मैं और किसी को बुला भी कैसे सकता था ? रही यह बात कि आप के मन में जो यह ख़याल आया कि शायद वह लोक सभा में बयान देंगे, प्रैस में ऐसी ख़बर निकली है उस पर आप ने ऐतबार कर लिया लेकिन मैं उस पर कैसे ऐतबार कर सकता हूं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वाएंट आफ़ आर्डर है। जब मैं ने यह पूछा था कि काश्मीर के सम्बन्ध में नया निर्णय लेने से पहले पार्लियामेंट को कौनफिडेंस में लिया जायगा या नहीं तो आप ने यह कह दिया कि उसका उत्तर हो चुका लेकिन सरकार की ओर से या प्रधान मंत्री की ओर से कोई उत्तर नहीं आया है। यह मामला बहुत गम्भीर है और मैं आप से पुनः अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें अवसर दीजिये, प्रधान मंत्री इस स्थिति को स्पष्ट करें कि कोई नया निर्णय लेने से पहले वह पार्लियामेंट को कानफिडेंस में लेंगे या नहीं लेंगे ? इस पर उदका उत्तर आने दिया जाये और इसको इस तरह से बीच में ही रोका न जाये।

अध्यक्ष महोदय : जवाब दे तो दिया है कि यह सब मामले स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़े हुए थे। स्टेट गवर्नमेंट ने उस में फैसला लिया है अब इसमें पार्लियामेंट का सवाल कहां आता है ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पार्लियामेंट का सवाल इसमें इस तरह से आता है कि जब सब से पहले सन् १९५३ में शेख़ अब्दुल्ला गिरफ्तार हुए थे तब भी इन से राय ली थी, जब सन् १९५७ में रिलीज़ हुए तब इन से राय ली गई और अब भी उन से परामर्श लिया गया है, यह सवाल ऐसा है जिसका कि सारे देश से सम्बन्ध आता है, जिसके लिए कि अरबों रुपये खर्च हुए हैं, उसके सम्बन्ध में कोई नया निर्णय लेने से पहले पार्लियामेंट को कौनफिडेंस में न लिया जाय यह देश के लिए बहुत बड़ा अन्याय है और मेरा आग्रह है कि प्रधान मंत्री को पार्लियामेंट को इस तरह का आश्वासन देने का मौक़ा देना चाहिए कि कोई भी निर्णय लेने से पूर्व पार्लियामेंट को कौनफिडेंस में ले लिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सबजेक्ट है। यह यहां पर नहीं आ सकता है। (*Interruptions*) श्री चागला। (*Interruptions*).

श्री बृजराज सिंह (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, जब एक बार कोई सवाल सैंटर के सामने आ गया, तो वह स्टेट सबजेक्ट नहीं रहा। निर्णय तो ये लोग कर रहे हैं। (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : वे करें या न करें, इस से कोई ताल्लुक नहीं है। माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्वायंट आफ़ आर्डर है। (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य सीरियल नम्बर भी याद रखते हैं कि उन्होंने कितने प्वायंट आफ़ आर्डर उठाये हैं ?

श्री बड़े : यह डिफ़रेंट बात है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य लाइयर हो कर इस तरह रुकावट डालते हैं, यह उचित नहीं है।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, लाइयर होने के कारण ही पहले मैं बैठ जाता हूं और फिर उठता हूं।

मैंने प्वायंट आफ़ आर्डर उठाया है और मैं आप से यह व्यवस्था चाहता हूं कि जब किसी भी सबजेक्ट पर प्राइम मिनिस्टर के नाते राय दे दी जाती है, तो क्या पार्लियामेंट भी उस में सहभागी हो जाती है या नहीं

श्रोर इसलिए क्या पार्लियामेंट को भी कान्फ़्रेंस में लेना चाहिए या नहीं ।

श्रध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वायंट श्राफ़ श्राडंर नहीं है । माननीय सदस्य श्रब बैठ जायें ।

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): On a point of order. May I point out that the question of the integration of Kashmir is bound up with the security of the whole of India and, therefore, this Parliament should be taken into confidence before any action is taken.

Mr. Speaker: The only question here is about the release of one person whether he might be connected with the integration or not. Here the question is only of the arrest of one person and his release. That is a question of law and order which entirely is the concern of the State Government and that is what has been stated. Papers to be laid on the Table—Shri Chagla. (*Interruptions*).

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: I do not allow. I have finished that. Nothing arises now.

श्री बड़े : श्रध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्वायंट है । (*Interruptions*)

श्रध्यक्ष महोदय : श्राडंर, श्राडंर । श्रब मैं श्रोर बहस की इजाज़त नहीं दे सकता हूं ।

श्री कछवाय : श्रध्यक्ष महोदय, . . .

श्री बड़े : श्राप ने जो रूलिंग दिया है, ...

श्रध्यक्ष महोदय : उस पर सवाल नहीं हो सकता है ।

श्री बड़े : मैं सवाल नही कर रहा हूं ।

श्रध्यक्ष महोदय : जब एक बात खत्म हो गई श्रोर दूसरी शुरू नहीं हुई, तो इस वक्त कोई प्वायंट श्राफ श्राडंर नहीं उठाया जा सकता है । (*Interruptions*)

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of clarification, Sir?

Mr. Speaker: No, Sir.

Shri Hari Vishnu Kamath: It is a very important ruling that has been given. It might affect our future working. When it is a State matter, how can it be raised here?

Mr. Speaker: All right. (*Interruption*). Order, order. Next item—Shri Chagla.

श्री कछवाय : श्रध्यक्ष महोदय, . . .

श्रध्यक्ष महोदय : श्राडंर, श्राडंर ।

डा० राम मनोहर लोहिया : श्रध्यक्ष महोदय, . . .

श्रध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं श्रोर इजाजत नहीं दे सकता हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : श्रध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था पूछ रहा हूं ।

श्रध्यक्ष महोदय : व्यवस्था पूछने का सवाल नहीं है । मेरा काम सलाह देने का नहीं है । मैं मश्विरे नहीं दे सकता हूं । मैंने कहा है कि इस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्रध्यक्ष महोदय : नहीं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह पूरी की पूरी काश्मीर-नीति श्रोर हिंद-पाक नीति का सवाल है । (*Interruptions*)

श्रध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा है कि इस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । एक बात खत्म हो ली श्रोर

दूसरी अभी शुरू नहीं हुई । इसलिए इस वक्त कोई प्वायंट आफ़ आर्डर नहीं उठ सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, अभी ख़त्म नहीं हुआ । (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : ख़त्म हो गया है । मैं ने श्री चागला को बुला लिया है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, टुटी-फुटी बातों का नतीजा बड़ा ख़राब होता है ।

श्री कछवाय : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता हूं । श्री चागला ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : अध्यक्ष महोदय, उन को तो इजाज़त दे दें

श्री कछवाय : अध्यक्ष महोदय, .

12.23 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF TRUSTEES OF THE INDIAN MUSEUM, CALCUTTA FOR 1961-62

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): I beg to lay on the Table a copy of Annual Report of the Board of Trustees of the Indian Museum, Calcutta, for 1961-62. [*Placed in Library. See* No. LT-2613/64].

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-NINTH REPORT

Shri S. V. Krishnamoorthy Rao: I beg to present the Thirty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

STATEMENT CORRECTING INFORMATION SHRI A. K. SEN

The Minister of Law (Shri A. K. Sen: With your permission, Sir, I beg to bring to the notice of the House that during the discussions on the Demands for Grants of the Department of Posts and Telegraphs, I, in reply to a certain specific question put by Shri S. M. Banerjee, stated that the officer who had written letters had already been reverted. As the position of the case may not be quite clear from this statement, I would like to clarify it. The position is that I have already ordered that action should be taken to revert the officer. The departmental rules, however, require that an officer officiating in Class I Service can be reverted only in consultation with the duly constituted Departmental Promotion Committee which includes a Member of the U.P.S.C. The matter is being processed to fulfil this requirement. Action is being taken accordingly.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I had read out from certain letters in order to prove that this particular senior officer was involved in a love affair. I wanted to know whether orders had been issued to revert this particular officer. Since that is going to take some time, may I know whether this officer is likely to be suspended till that action is taken?

Shri A. K. Sen: Suspension is not the ordinary rule where an order of reversion is made. It is a requirement of the statutory rules, which has to be fulfilled. But the departmental decision has already been arrived at to direct that he be reverted. The other requirements which are prescribed by the rules are being followed.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): On a point of order. I would like to ask for your guidance on this matter. I do not know whether such corrections are governed by any particular rule. I find that Direction 115 only.......

Shri A. K. Sen: That is the only rule.